न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024 / 68 दर्ज दिनांक– 01.02.2024
मुकदमा नम्बर 19 / 2024

घडसीराम उर्फ हेमाराम सैनी पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी वार्ड नं. 14 ढाका की ढाणी ,तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू –आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़ –अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री आन्नदीलाल सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 10.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम चिराना पटवार हल्का चिराना मे भूमि खाता सं. नया 156 पुराना 133 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 100, 101, 102, 97, 98, 99, रकबा क्रमशः 0.44, 0.44, 0.08, 0.07, 0.02, 0.42 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.47 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम घडसीराम पुत्र रामेश्वरराम के स्थान पर हेमाराम सैनी पुत्र रामेश्वर लाल दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो एक रिपोर्ट इस कदर पेश कि गई की ग्राम चिराना के खाता सं. 156 में एक नामा. 1600 दर्ज होकर प्रकियाधीन है एंव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का स्थगन आदेश प्रभावी है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम चिराना पटवार हल्का चिराना मे भूमि खाता सं. नया 156 पुराना 133 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 100, 101, 102, 97, 98, 99, रकबा क्रमशः 0.44, 0.44, 0.08, 0.07, 0.02, 0.42 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.47 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम घडसीराम पुत्र रामेश्वरराम के स्थान पर हेमाराम सैनी पुत्र रामेश्वर लाल दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश उक्त भूमि स्थगन आदेश से मुक्त होने पर तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय / आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू